

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी—श्री राजेश कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-31 ए/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.राणुका पुत्री घेवरराम		1. पपाराम पुत्र भीठाराम
2.सुकली देवी पत्नी रामेश्वर		2. एवनकी पत्नी पपाराम
जाति भील निवासी जानियाना		3. रमेश पुत्र पेमाराम
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		जाति भील निवासी बालोतरा
		4. बाबुलाल पुत्र धनाराम जाति भील
		निवासी जोधपुर
		5. कमलादेवी पत्नी मोहन
		6. सन्तु पुत्री मोहन नाबालिग जरीये
		कुदरती बलिया माता कमलादेवी पत्नी
		मोहन जाति भील
		7. कमला पत्नी जैसलराम
		8. पानकीदेवी पत्नी ठाकराराम
		9. सुजकीदेवी पत्नी भट्टाराम
		10. सुरताराम पुत्र लादुराम जाति भील
		निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा
		11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
		पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## अंतिम निर्णय

दिनांक— 24.01.2024

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 340 क्षेत्रफल 2.9213 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 06.9.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु कमीशनर मुकर्रर किया गया था।

  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। प्रतिवादी के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही पारित हो रखी है। वादीगण वकील की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद भौजा पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 340 क्षेत्रफल 02.9213 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टर. में)	किस्म भूमि	वरंग
1	राणूका पुत्री घेवरराम जाति भील सा.जानियाना खातेदार	पचपदरा	340	0.3667	बा.अ.	बी
2	सुकलीदेवी पत्नी रामेश्वर जाति भील सा.देह खातेदार	पचपदरा	340	0.3794	बा.अ.	सी
3	1.एवनकी पत्नी पपाराम हि. 1391/10876 जाति भील सा.बालोतर 2.कमला पत्नी जैसलराम हि. 2529/21752 जाति भील सा.मंडापुरा 3.कमलादेवी पत्नी मोहनलाल हि.885/21752 जाति भील सा.मंडापुरा 4.पपाराम पुत्र मीठाराम हि. 1391/10876 जाति भील सा.बालोतरा 5.पानकी पत्नी ठाकुराराम हि. 2529/21752 जाति भील सा.मंडापुरा खातेदार 6.बाबुलाल पुत्र धनाराम हि. 174/2719 जाति भील सा. जोधपुर 7.रमेश पुत्र पेमाराम हि. 1391/10876 जाति भील सा.बालोतरा 8.सुजकीदेवी पत्नी भटाराम हि.2529/21752 जाति भील सा.मंडापुरा 9.संतु पुत्री पति मोहनलाल हि.174/2719 10.सुरताराम पुत्र लादूराम हि. 1075/10876 जाति भील सा.मंडापुरा खातेदार	पचपदरा	340	0.4059 1.7639	बा.अ.	ए डी



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार,पंचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण करके बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पट्टा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।




(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-श्री राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

वादीगण	अनवान बनाम	प्रतिवादी
1.राणुका पुत्री घेवरराम		1. पपाराम पुत्र मीठाराम
2.सुकली देवी पत्नी रामेश्वर		2. एवनकी पत्नी पपाराम
जाति भील निवासी जानियाना		3. रमेश पुत्र पेमाराम जाति भील निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		4. बाबुलाल पुत्र धनाराम जाति भील निवासी जोधपुर
		5. कमलादेवी पत्नी मोहन
		6. सन्तु पुत्री मोहन नाबालिग जरीये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नी मोहन जाति भील
		7. कमला पत्नी जैसलराम
		8. पानकीदेवी पत्नी ठाकराराम
		9. सुजकीदेवी पत्नी भट्टाराम
		10. सुरताराम पुत्र लादुराम जाति भील निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा
		11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा




राजस्व वाद बाबत:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :31 ए/2022

निर्णय दिनांक :- 24.01.2024

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 24.01.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24.01.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 24.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(राजेश कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(एन.ए.ओ.) बालोतरा  
(S.D.O.) बालोतरा